गोपनीय

क्रम संख्या–9

संख्या 980/43-2—2001-14-2(28)-2000

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2001

विषयः—कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा० मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के निर्देश।

महोदय,

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1727/43-2—2000-14/2(20)-2000, दिनांक 4 जुलाई, 2000 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गयी थी कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे मा० मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति/कृत कार्यवाही से मा० मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/सम्बन्धित विभाग के सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग पत्रावली के माध्यम से सम्बन्धित मा० मंत्री को स्थिति से अवगत करायें।

2—उक्त प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि मा० मंत्रीगण को किसी प्रसंग में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/सम्बन्धित विभाग के सचिव को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि सम्बन्धित मा० मंत्री जी के निजी सचिव को पृष्ठांकित की जा सकती है।

3—उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 4 जुलाई, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव।

संख्या 980(1)/43-2—2001-14-2(28)-2000, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,
सुनन्दा प्रसाद,
सचिव।